न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:- सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 31/2024
जीसीएमएस नं. :- 2024/84

अमनजोत सिंह पुत्र गुरपाल सिंह उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता बलविन्द्र कौर पत्नी गुरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 यूएसएस तहसील अनूपगढ़ हाल चक 3 डीडी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

– प्रार्थी

बनाम

1. गुरपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 यूएसएस तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित–

1. बलदेवसिंह भगू एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. हरेन्द्रसिंह सेखो एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

दिनांक :– 13/03/26

– :: निर्णय :: –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 2 यू एस एस तहसील अनूपगढ़ का खाता सं.–46 (43) का पत्थर सं.–272/416 मु नं.–32 का कि नं.–1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/ अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी सं.–1 व अन्य के नाम से संयुक्त रूप से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हे जिसमें अप्रार्थी सं.–1 के नाम 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड हे। प्रकरण में आयंदा अप्राथी सं.–1 के 1/3 हिस्सा भूमि को विवादित भूमि कहा जाएगा। जमाबन्दी के प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी का पिता है व प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 की वैध व हकीकी सन्तान है लेकिन अप्रार्थी सं.–1 झगडालू किस्म का व्यक्ति है जिसने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थी की माता बलविन्द्र कौर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर एंव मारपीट कर प्रार्थी सहित अरसा दो वर्ष पूर्व घर से निकाल दिया तथा अब अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी सहित घर व जमीन से बेदखल कर प्रार्थी को उसके पैतृक एवं सहदायिकी हक व अधिकार से पूर्णतः वंचित करना चाहता है जिस कारण प्रार्थी वर्तमान में अपनी माता के साथ अपने ननिहाल चक 3 डी डी तहसील पदमपुर में [illegible] रह रहा है। चूकिं प्रार्थी नाबालिग है तथा प्रार्थी के हितार्थ बलविन्द्र कौर पत्नी गुरपाल सिंह की ओर से पेश किया जा रहा है। वाद मित्र कुदरतीवली माता नाबालिग की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने में समक्ष है तथा वाद मित्र का हित नाबालिग प्रार्थी के हित [illegible] है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी [illegible] गुरपालसिहं के नाम से सयूक्तं रूप से 1/3 हिस्सा के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 सयुक्तं हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी को अपने पिता यानि प्रार्थी के दादा महेन्द्रसिहं के देहान्त उपरांत. विरास्तन अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
पीठासीन अधिकारी
अनूपगढ़

के तहत प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है इस प्रकार उक्त विवादित भूमि सयुक्तं हिन्दु खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पति है जो कि प्रार्थी के सयुक्तं परिवार की पैत्रक एव सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का सहदायी है उक्त विवादित भूमि प्रार्थी परिवार की आमदन का एक मात्र साधन है तथा जो प्रार्थी के संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है चूकिं प्रार्थी एव अप्रार्थी सं.–1 हिन्दु विधि, हिन्दु उत्तराधिकार से शासित होते है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राथीं का अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज विवादित कृषि भूमि में जन्म से ही जन्मसिद्ध अधिकार व अधिपत्य है तथा विवादित भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा हित निहित है। चूंकि प्रार्थी नाबालिग है तथा प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित कृषि भूमि पर वर्तमान में अप्रार्थी सं.–1 काश्त करता आ रहा है जबकि प्रार्थी विवादित भूमि का जन्म से ही अंशधारी है चंकि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यो के साथ मिलकर प्रार्थी की माता बलविन्द्र कौर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर एंव मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा अब अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी सहित घर व जमीन से बेदखल कर प्रार्थी को उसके पैतृक एवं सहदायिकी हक व अधिकार से पूर्णतः वंचित करना चाहते है। उक्त भूमि पर सयुक्तं रूप से प्रार्थी का भी जन्म से ही संयुक्त रूप से अधिकार व अधिपत्य है व उक्त भूमि के अतिरिक्त प्रार्थी के भरण पोषण व आजिवीका का अन्य कोई श्रोत नंही है। लेकिन अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी को उसके अधिकारों से पुर्णतः वंचित करने की नीयत से उक्त विवादित भूमि को खुर्दबुर्द व अन्यत्रं बैचान करने के प्रयासरत है व प्रार्थी को उसका हिस्सा नहीं देना चाहते है तथा प्रार्थी को जबरदस्ती उनके हक अधिकार एवं अधिपत्य से बेदखल करना चाहते है जिसके अप्रार्थी सं.–1 कतई विधिक अधिकारी नंही है। अप्रार्थी सं.–1 का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी सं.1 उक्त विवादित कृषि भूमि का अन्य किसी को अन्यत्र हस्तांतरित रहन बैचान करने के प्रयासरत है और कुछ दलाल किस्म के व्यक्तियों को जमीन दिखाते फिर रहे है। जिसका ज्ञान होने पर अरसा 15 दिन पूर्व प्रार्थी ने अपनी माता के साथ पंच पंचायत के माध्यम से अप्रार्थी सं.–1 को समझाया कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थी की पूश्तैनी पैतृक एव सहदायिकी सम्पति है जिसमें प्रार्थी का जन्मसिद्ध सयुंक्त रूप से 1/2 हिस्सा हक अधिकार एवं अधिपत्य निहित है इसलिऐ वे विवादित भूमि में से अप्रार्थी सं.–1 अपने नाम की 1/3 हिस्सा भूमि प्र्थी को उसके अंश अनुसार प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं.–1 ऐसा करने से इन्कार हो गया और कहने लगा कि वह प्रार्थी को कोई हिस्सा नहीं देगा बल्कि वह शीघ्र ही विवादित भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर विवादित भूमि को अन्यत्र रहन बैचान व हस्तांतरित कर विवादित भूमि को खूर्द बूर्द कर देगा। प्रार्थी जो कि अप्रार्थी सं.–1 की वैध सन्तान है तथा विवादित भूमि प्रार्थी की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं.–1 के नाम की विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित है जो प्रार्थी के संयूक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त विवादित भमि की आजिवीका का एक मात्र साधन है चूकिं विवादित भूमि अप्रार्थी सं.–1 के पास सयुंक्त अविभाजित परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें [illegible] उसके जन्मसिद्ध अंश अनुसार हित निहित बनता है। अप्रार्था सं.–1 वि[illegible] प्रार्थी को उसके हक अधिकारो से बंचित करने के प्रयासरत [illegible] सं.–1 ने धमकी भी दी है कि वे ववादित भुमि में प्रार्थी [illegible] विवादित भूमि को अन्यत्र रहन बैचान कर खूर्द बु[illegible] खुर्द बुर्द होने व अन्य्र बैचान करने से प्रार्थी के पास अपने भरण पोषण का अन्य कोई साधन नंही रहेगा अगर अप्रार्थी सं.–1 अपने नापाक ईरादे में कामयाब हो गए तो इससे प्रार्थी को ना पुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की एवज मे नंही हो सकेगी इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्द अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी विधिक अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसल मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थना पत्र में दर्ज सयूक्तं खाता की कृषि भूमि वाके चक 2 युएसएस तहसील अनूपगढ का खाता सं.–46 (43) का पत्थर सं.–272/416 मु.नं.–32 का कि नं.–1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड में 1/3 हिस्सा में बिना प्रार्थी के अधिकारो की घोषणा करवाये किसी भी तरीके से अन्यंत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान करने से व प्रार्थी के जन्मसिद्ध अधिकार व अधिपत्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने व करवाने से निषिद्ध रहे तथा रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें कृपा होगी ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. –1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी ने कभी भी अपनी पत्नि बलविन्द्र कौर को प्रताडित नहीं किया और ना ही कभी उसे घर से निकाला। मैं अप्रार्थी अपने पुत्र प्रार्थी अमनजोत का पूर्ण पालन पोषण व देखभाल कर रहा हूं। मेरी पत्नि बलविन्द्र कौर ने अपने भाई रविन्द्र सिंह के दबाव में आकर मुझे तंग परेशान व प्रताडित करने के उद्धेश्य से मेरे नाबालिग पुत्र की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश करवाया है। उक्त रविन्द्र सिंह मेरे पुत्र की संपत्ति को खूर्द बूर्द करने की इच्छा रखता है। चूंकि मेरी पत्नि बलविन्द्र कौर अपने भाई के दबाव व बहकावे में इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही कर रही है इसलिए उसका हित मेरे नाबालिग पुत्र प्रार्थी अमनजोत सिंह के विपरीत है। विवादित कृषि भूमि मेरे पिता महेन्द्र सिंह की स्वः अर्जित व खरीदशुदा कृषि भूमि थी जो कि उनकी मृत्यू के उपरांत मुझ अप्रार्थी गुरपाल सिंह, मेरे भाई गुरकिरण सिंह माता बलजीत कौर व 3 बहनों संदीप कौर, मनदीप कोर व हरजीत कौर को प्राप्त हुई। प्रत्येक को 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ जिसका सभी हिस्सेदारों ने आपसी बंटवारा कर लिया। इसक उपरांत 3 बहनों संदीप कौर, मनदीप कोर व हरजीत कौर ने अपना अपना हिस्सा मुझ अप्रार्थी, भाई गुरकिरण सिंह व माता बलजीत कौर के पक्ष में त्याग दिया इस प्रकार प्रत्येक के हिस्सा में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि आई। प्रार्थी ने जानबूझकर उक्त तथ्य छुपाये हैं। विवादित कृषि भूमि ना तो संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक संपति है और ना ही सहदायिकी संपति है। पिता की मृत्यू के बाद हुए पारिवारिक बंटवारे के उपरात उक्त संपत्ति प्रत्येक हिस्सेदार की स्वयं की संपत्ति हो गई थी। इसलिए विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा नहीं है।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। [illegible] है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है [illegible] अप्र[illegible] को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है कि वे अपनी भूमि विक्रय [illegible]स्तान्तरित नहीं करे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता और [illegible] प्रकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। विवादित कृषि भूमि ना तो संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक संपति है और ना ही सहदायिकी संपति है। पिता की मृत्यू के बाद हुए पारिवारिक बंटवारे के उपरात उक्त संपत्ति प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

हिस्सेदार की स्वयं की संपत्ति हो गई है। सह–खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काश्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीग के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी अपनी जरूरतो से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थी जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13/03/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested